अपील संख्या एस–04/ए/1236/2025

श्री बीर बहादुर राव बनाम ज0सू0अ0, कार्या0 जिलाधिकारी, जनपद–कुशीनगर।

डॉ0 दिलीप कुमार अग्निहोत्री मा0 राज्य सूचना आयुक्त।

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। अपीलकर्ता स्वयं उपस्थित हैं। विपक्षी जनसूचना अधिकारी अनुपस्थित हैं। अपीलकर्ता द्वारा मा0 आयोग के समक्ष यह कथन किया गया कि इस प्रकरण में उसे अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि आयोग के आदेश दिनाँक 29–12–2025 के द्वारा विपक्षी जनसूचना अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–कुशीनगर को अपीलकर्ता के मूल आवेदन पत्र दिनाँक 07–04–2025 के क्रम में समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु विपक्षी जनसूचना अधिकारी द्वारा न तो अपीलकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध करायी गईं और न ही आज सुनवाई में आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

अतः न्यायहित में एक अवसर प्रदान करते हुए **विपक्षी जनसूचना अधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–कुशीनगर को पुनः इस आशय की नोटिस प्रेषित की जाए कि अपीलकर्ता के मूल आवेदन पत्र दिनाँक 07–04–2025 के क्रम में समस्त वांछित सूचनाएं/छायाप्रतियां प्रमाणित रूप से अगले एक सप्ताह के अन्दर** अपीलकर्ता को **पंजीकृत डाक** के माध्यम से प्रेषित करते हुए मा0 आयोग को अवगत कराएं। अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि उनके द्वारा अपीलकर्ता को सूचनाएं क्यों नहीं दी गईं और क्यों न इस कारण उनके विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। अगली सुनवाई तिथि पर विपक्षी जनसूचना अधिकारी समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित हों।

वाद वास्ते अगली **सुनवाई दिनांक 23–04–2026** को पेश हो।

19–02–2026

साकेत द्विवेदी

अपीलकर्ता–

विपक्षी–

आदेश
20/03/26
अपलोड किया गया
आशु लिपिक